इसे वेबसाईट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 319] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 15 अक्टूबर 2026–आश्विन 23, शक 1948

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 अक्टूबर 2026

शुद्धि–पत्र

क्र. CT–4–2–0001–2024–Sec-1-पांच (CT)(15).–मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग की असाधारण राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक CT–4–2–0001–2024–Sec-1-पांच (CT)(14) भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2026 के संलग्न प्रारुप–'क' के बिन्दु क्रमांक 8,9 एवं 13 में, विनिर्दिष्ट सारणी में, अंकित शब्दों एवं अंकों में, "1 प्रतिशत उपकर" के स्थान पर "14 प्रतिशत" पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश ओगरे, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 अक्टूबर 2026

क्र. CT–4–2–0001–2024–Sec-1-पांच (CT).–भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. CT–4–2–0001–2024–Sec-1-पांच (CT)(15) दिनांक 15 अक्टूबर 2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश ओगरे, अपर सचिव.

Bhopal, the 15th October 2026

Corrigendum

No. CT-4-2-0001-2024-Sec-1-V (CT)(15).–In the specified table attached to Notification No. CT-4-2-0001-2024-Sec-1-V (CT)(14), Bhopal, Dated 8th September 2026 published in the Extraordinary Gazette by the Government of Madhya Pradesh, Commercial Tax Department, read "14 percent" in place of "1 percent cess" written in words and figures at serial numbers 8, 9 and 13 of Draft "Form-A".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

RAJESH OGREY, Addl. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2026.